प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.07.2025

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मेरठ तिराहा से सीमापुरी बॉर्डर एवं डाबर तिराहा तक पड़ने वाले कांवड़ मार्ग एवं कांवड़ शिविरों का भ्रमण किया गया तथा थाना शालीमार गार्डन, थाना साहिबाबाद व थाना लिंक रोड का भ्रमण किया गया।

दिनांक 14.07.25 को पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मेरठ तिराहा से सीमापुरी बॉर्डर एवं डाबर तिराहा तक पड़ने वाले कांवड़ मार्ग एवं कांवड़ मार्ग पर स्थित कांवड़ शिविरों का भ्रमण किया गया तथा कावड़ मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों, यातायात व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन, सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद, शालीमार गार्डन तथा सम्बन्धित थाना प्रभारी उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुचारु संचालन हेतु सम्बन्धित को निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

- सम्पूर्ण कावड़ मार्ग को सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार मॉनिटर किया जाये, जिससे किसी भी संवेदनशील स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।
- निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मार्ग की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, मेडिकल सुविधा, पेयजल, रात्रि प्रकाश व्यवस्था तथा CCTV कैमरों की स्थिति का गहन अवलोकन किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- कावड़ मार्ग पर उचित बैरिकेडिंग कर यातायात का नियमन किया जाए ताकि यात्री और स्थानीय नागरिकों को असुविधा न हो।
- कावड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखते हुए डायवर्जन के रूट पर प्रतिबन्धित वाहनों को पूर्णतया रोका जाये।
- मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर हेल्प डेस्क एवं फर्स्ट ऐड सेंटर की स्थापना की जाए, जहाँ त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके।

साथ ही यात्रा के दौरान पड़ने वाले संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थापित विभिन्न कांवड़ शिविरों का निरीक्षण कर शिविरों में उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं, और श्रद्धालुओं की सहूलियत का जायजा लिया गया। पुलिस आयुक्त

महोदय द्वारा कांवड़ शिविरों के आसपास यातायात को सुचारू रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ मार्ग पर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से वार्ता की गई तथा कांवड़ियों के साथ सेवा-भाव एवं शालीनता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने तथा अलर्ट रहकर ड्यूटी करने के सम्बन्ध मे आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

साथ ही श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना शालीमार गार्डन, थाना साहिबाबाद एवं थाना लिंक रोड का भ्रमण किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क, अभिलेखों आदि को चेक किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना प्रभारी शालीमार गार्डन,थाना साहिबाबाद एवं थाना लिंक रोड को नियमित रुप से जनसुनवाई करने तथा आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के साथ मृदुल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायत पर त्वरित एवं तत्परता से कार्यवाही करने हेतु व अन्य निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिए गये -

- कार्यालय/बैरिक/थाना परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है।
- थाने पर वेटिंग एरिया होना चाहिए।
- थाने पर लगे सभी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए तथा रिकार्डिंग सुरक्षित रहनी चाहिए।
- थाने पर शिकायत लेकर आये व्यक्तियों के लिए पानी व लाइट एवं शौचालयों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।
- डाक ऑफिस, माल खाना व सीसीटीएनएस ऑफिस में अभियोगों से सम्बन्धित दस्तावेज, माल व उपकरणों का रख-रखाव ठीक होना चाहिए।
- सभी अभियोगों से सम्बन्धित रिकार्ड अपडेट रखने तथा अन्य दिशा-निर्देश दिये गये।

गाजियाबाद पुलिस कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कटिबद्ध है ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा एक्सीडेंट की घटना करने वाला चालक गिरफ्तार।

दिनांक 13.07.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर प्रार्थना-पत्र दिया कि पिकअप गाड़ी रजि0 नं0 DL1LAM 5067 के अज्ञात चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से पिकअप गाड़ी को चलाकर वादी की पोती की इलेक्ट्रिक स्कूटी में टक्कर मार दी गई जिससे वादी की पोती शिखा पुत्री राजकुमार की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 281/106 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा चालक की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन पिकअप रजि0 नं0 DL1LAM 5067 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से बरामद किया गया तथा दिनांक 15.07.25 को प्रकाश में आये चालक/अभियुक्त हरेराम यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी A 236/1 रामा गार्डन करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि स्कूटी चालक सामने से आ रही थी जिसपर एक लडकी बैठी हुई थी अचानक से स्कूटी मेरी गाडी के सामने फिसलकर गिर गई जिससे लडकी गाडी के नीचे आ गई मैं अपनी गाडी को रोक नहीं पाया और गाडी लडकी के ऊपर चढ गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

हरेराम यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी A 236/1 रामा गार्डन करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त व साथ देने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 12.06.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के घर से कहीं चले जाने और वापस ना आने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त शशांक पुत्र रामस्वरूप निवासी सैक्टर 35 सिटी सैन्टर माल के पास नोयडा गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष व साथ देने वाली अभियुक्ता सिमरन पत्नी जयप्रकाश मण्डल निवासी मकान नम्बर 40 निकट लाल बिल्डिंग हौज खास दिल्ली उम्र 28 वर्ष (अभियुक्त की बहन) का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 87/64/61(2) बीएनएस व 3/4(2)/16/17 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 15.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शशांक पुत्र रामस्वरूप निवासी सैक्टर 35 सिटी सैन्टर माल के पास नोयडा गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष व सिमरन पत्नी जयप्रकाश मण्डल निवासी मकान नम्बर 40 निकट लाल बिल्डिंग हौज खास दिल्ली उम्र 28 वर्ष (अभियुक्त की बहन) को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार/हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों की पहले से दोस्ती थी इसके बहाने मैं वादी की पुत्री को बाहर घुमाने ले गया था और मैने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे और इसमें मेरी बहन ने मेरी मदद की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शशांक पुत्र रामस्वरूप निवासी सैक्टर 35 सिटी सैन्टर माल के पास नोयडा गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष
2. सिमरन पत्नी जयप्रकाश मण्डल निवासी मकान नम्बर 40 निकट लाल बिल्डिंग हौज खास दिल्ली उम्र 28 वर्ष (अभियुक्त की बहन)

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कार व 04 अन्य गाडियों की चाबियाँ तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 06.07.2025 को वादी श्री सागर कसाना पुत्र श्री संतराम कसाना निवासी 213,6, शहीद भगत सिंह कॉलोनी करावल नगर दिल्ली की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की कार को शाम के समय A-21 रामपुरी से वादी के दोस्त के घर के बाहर से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए दिनांक 14.07.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त मोहम्मद आमिर पुत्र मुस्ताक हुसैन निवासी गली नं०-03 चाँद मस्जिद के सामने इकराम नगर मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को महाराजपुर तिराहे के पास से चोरी की 01 कार व 04 अन्य गाडियों की चाबियाँ तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आमिर पुत्र मुस्ताक हुसैन उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आमिर पुत्र मुस्ताक हुसैन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त कार का मैकेनिक है। जिसका स्वयं का लोनी में गैराज है। जिसके क्रम में अभियुक्त ने बताया कि मुझ पर दूसरे लोगों का 50-60 लाख रुपये का कर्ज है। जब मेरे पास यह बरामद कार सर्विस होने के लिए आयी थी। उसी दौरान मैने कार में एक जीपीएस लगा दिया जो मेरे पास से बरामद मोबाइल फोन में ही लॉगिन है। सर्विस के दौरान ही मैने गाडी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी फिर दिनांक 04.07.2025 को मौका देखकर जीपीएस ट्रैकर की मदद से कार की लोकेशन ट्रैक कर मैने यह कार रामपुरी इलाके से चोरी कर ली थी। इसी प्रकार मैने कुछ अन्य गाडियों की भी चाबी बना रखी थी। जिन्हें में चोरी करने की फिराक में था। वहीं चाबिया मेरे पास से बरामद हुई हैं। बरामद कार को में दिल्ली ले जाकर बेचने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहम्मद आमिर पुत्र मुस्ताक हुसैन निवासी गली नं०-03 चाँद मस्जिद के सामने इकराम नगर मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 कार व 04 अन्य गाडियों की चाबियाँ तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त आमिर उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर गाडी चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री का पीछा करना व विडियो बनाते हुए फोटो खींचने व बहला-फुसलाकर ले जाकर कोल्डड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर पिलाने व दुष्कर्म करने तथा विडियो/फोटो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देने, गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए पुनः दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 77,78,137(2) ,65(1) ,126(2) ,123 , 352 , 351(2) बीएनएस व धारा 4(2) पोक्सो अधिनियम व 3/2/5 एससी/एसटी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी म0न0 212 गली न0 2 किदवई नगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को संजयपुरी कट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है तथा बताया कि वह एक दुकान पर काम करता था जहाँ पर पीड़िता सब्जी बेचा करती थी। मैंने पीड़िता को बहला फुसलाकर उसको होटल ले जाकर उसके साथ गलत काम किया व वीडियो बना ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी म0न0 212 गली न0 2 किदवई नगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.06.2025 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अफसार द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर घर में घुसकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। प्राप्त तहरीर के आधार

पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा 69/333/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 14.07.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अफसार पुत्र शफी निवासी ग्राम त्यौडी 07 विस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद को किल्हौडा बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीड़िता से जान पहचान व बातचीत शुरू हो गई थी और पीड़िता के घर पर मेरा आना जाना भी हो गया था। मौका पाकर मैंने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त अफसार पुत्र शफी निवासी ग्राम त्यौडी 07 विस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।